वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या : 405 /XVII(1)-01/2006-11(04)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-01. देहरादून, 03 मार्च 2006

विषय : हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तरांचल के चौरास परिसर में अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु छात्रावास भवन के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तरांचल के चौरास परिसर में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरांचल पेयजल निगम (निर्माण विंग), ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारम्भिक आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 68.10 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में रूपये 15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है--

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितना कि स्वीकृति मानक है, स्वीकृति मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग और MORTH द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।
7. आगणन में जिन मदों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, व्यय उन्हीं मदों पर किया जाए। एक मद की राशि दूसरी मदों में कदापि व्यय न की जाए।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाए तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
9. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किए जाएंगे। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुवल व शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
11. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाएगा तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।
13. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।
14. उक्त धनराशि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तरांचल द्वारा आहरित कर कार्यदायी संस्था को सीधे उपलब्ध करायी जाएगी।
15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–02–अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण–00" के मानक मद "24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप बी.एम.–15 के पुनर्विनियोजन कालम–01 की बचतों से वहन किया जाएगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1075/XXVII-3/2006, दिनांक 24 फरवरी 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 405(1)/XVII(1)-01/2006-11(04)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तरांचल।
8. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–3, निर्माण विंग, उत्तरांचल पेयजल निगम, ऋषिकेश, जनपद–देहरादून।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल, उत्तरांचल।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

बी.एम.–15

(पैरा – 158)

नियन्त्रक अधिकारी – सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

वित्तीय वर्ष 2005–06,
प्रशासनिक विभाग – समाज कल्या
अनुदान संख्या – 30
(धनराशि हजार रुप

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में अवशेष)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
अनुदान संख्या–30, 'आयोजनागत' 4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 800–अन्य व्यय 03–अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास 24–वृहत निर्माण कार्य 450000	431373	17456	1171	अनुदान संख्या–30, 'आयोजनागत' 4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 277–शिक्षा 03–अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) (वृहत् कार्य) 24–वृहत निर्माण कार्य 1500	25044	446829	हेमवती नन्दन बहुगु गढ़वाल विश्वविद्याल श्रीनगर पौड़ी–गढ़वा उत्तरांचल के चौर परिसर में अनुसूचि जाति की छात्राओं लिए छात्रावास भवन निर्माण हेतु धनराशि कमी पड़ जाने के का पुनर्विनियोग आवश्यकता है।
4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 800–अन्य व्यय 04–अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता 24–वृहत निर्माण कार्य 20000	19671	–	329			19671	
योग 470000	451044	17456	1500	1500	25044	466500	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

उत्तरांचल शासन,
वित्त अनुभाग–03,
संख्या–1075(1)/XXVII-3/2006,
देहरादून, 24 फरवरी 2006

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत,

(एल. एम. पन्त)
अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।

पृष्ठांकन संख्या– 405 (1)/XVII(1)-01/2006–11(04)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।